अतिआवश्यक
रजिस्टर्ड डाक

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : 1882-1914 जयपुर, दिनांक 05/02/2019

उप निदेशक/सहायक निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कैशलेस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के संबंध में अधिस्वीकृत पत्रकारों से निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचना भरवा कर भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की वर्ष 2017–18 की बजट धोषणा के बिन्दु संख्या–301 की पालना में लागू राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए लागू की गई केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की अवधि दिनांक 28.02.2019 को समाप्त होने जा रही है। उक्त केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की अवधि को आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 तक बढ़ाया जाना है।

अतः आप अपने जिलें के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों से जानकारी संलग्न आवेदन प्रपत्र 'परिशिष्ट–क' में स्वच्छ व सुस्पष्ट अक्षरों में भरवाकर तीन दिवस में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा पत्रकारों द्वारा भरे गये आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर मय निम्नानुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अभिशंषा सहित विभाग को भिजवायें।

1. नवीनतम अधिस्वीकरण कार्ड की छायाप्रति।
2. संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. वर्तमान/स्थाई पते संबंधी आई.डी. की छायाप्रति।
4. स्वयं एवं आश्रितों (माता–पिता) का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
5. बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः– निर्धारित प्रपत्र "परिशिष्ट–क"

5/2/2018
आयुक्त
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–क

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्र. सं.	पत्रकार/आश्रित का नाम	अधिस्वीकरण कार्ड संख्या	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम एवं पदस्थापन का स्थान	वर्तमान पता	स्थाई पता	जन्म तिथि	वर्तमान आयु	आश्रित का पत्रकार से संबंध	वार्षिक आय	वर्तमान में किसी बिमारी से ग्रसित है अथवा नहीं	यदि बिमार है तो बिमारी की अवधि
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											

विशेष नोटः–

1. 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चें मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होगें।
2. माता–पिता जिनकी आय 2000/– रूपये प्रमिमाह से कम हो तथा वे संबंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होगें।
3. पत्रकार स्वयं की ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करें।
4. आवेदन पत्र को स्वच्छ अक्षरों में भरकर प्रेषित करें।

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–

1. नवीनतम अधिस्वीकरण कार्ड की छायाप्रति।
2. संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. वर्तमान/स्थाई पते संबंधी आई.डी. प्रस्तुत करनी होगी।
4. स्वयं एवं आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
5. बीमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं सही है एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं।

स्थानः–

दिनांकः–

मो. नम्बरः–

ई–मेलः–

हस्ताक्षर

(पत्रकार का नाम)

अधिस्वीकरण कार्ड संख्या